रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—128/91

REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 13, 1991 (चैत्र 23, 1913)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 13, 1991 (CHAITRA 23, 1913)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	323
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	441
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	607
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड—3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	387
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	418
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	803
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	49
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*अलग खण्ड नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolution issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	323
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	441
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	607
PART II SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i) General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	387
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	415
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	1
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	803
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private individuals and Private Bodies .	49
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च, 1991

सं० 46-प्रेज/91—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद :

श्री एम० एस० भण्डारी,
हैडकांस्टेबल,
63वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री पी० आर० अर्जुनन (मरणोपरांत)
कान्स्टेबल सं० 841220412,
63वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री पाटिल लक्ष्मण (मरणोपरांत)
कान्स्टेबल सं० 850796858,
63वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री राम प्रकाश (मरणोपरांत)
नायक सं० 690342407,
19वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 16 अप्रैल, 1988 को सांय लगभग 4-30 बजे हैड कान्स्टेबल एम० एस० भंडारी के नेतृत्व में, कान्स्टेबल पी० आर० अर्जुनन और कान्स्टेबल पाटिल लक्ष्मण सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 63वीं बटालियन की एक टुकड़ी ने पट्टी क्षेत्र में रट्टा गुइडा गांव में गश्त लगाते हुए उन्होंने जब धन्ना सिंह और बग्गा सिंह के फार्म हाउस की जांच करने का निर्णय लिया तो उस पर आतंकवादियों द्वारा स्वचालित हथियारों से भीषण गोली बारी की गई । श्री भंडारी और श्री अर्जुनन ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए तुरन्त मोर्चे संभाले और गोलाबारी का जवाब दिया । कान्स्टेबल अर्जुनन आतंकवादियों की गोली बारी का प्रभावकारी ढंग से जवाब देते हुए बुरी तरह घायल हो गए । घावों के बावजूद उन्होंने गोलियों का जवाब देने का प्रयास किया और रेंगते हुए आतंकवादियों की प्रहार करने की सीमा से दूर निकल गए ।

गोली बारी की आवाज सुनने और मुठभेड़ के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, घटनास्थल पर कुमुक पहुंच गई । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 19वीं बटालियन के कान्स्टेबल गोपाला कृष्णन जो सबसे आगे थे कान्स्टेबल पाटिल लक्ष्मण सहित अपनी निजी सुरक्षा की चिंता किए बगैर छिपते हुए रेंग कर फार्म हाउस की ओर बढ़े । कान्स्टेबल पाटिल लक्ष्मण, जब फार्म हाउस के बरामदे की ओर बढ़ रहे थे उस पर गोलियां चलाई गई और वे घायल हो गए । घावों के बावजूद, उन्होंने आतंकवादियों को व्यस्त रखने का निश्चय किया और गोली चला कर एक आतंकवादी को घायल कर दिया । श्री पाटिल लक्ष्मण को सिविल अस्पताल ले जाया गया परन्तु बाद में घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई ।

इस बीच केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 109वीं बटालियन के नायक राम प्रकाश ने कान्स्टेबल पी० आर० अर्जुनन को घायल अवस्था में पड़ा देखा तो उन्होंने उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया । आतंकवादियों द्वारा स्वचालित हथियारों से की जा रही भीषण गोलाबारी से उत्पन्न खतरे की परवाह न करते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल कर अत्यन्त साहस दिखाते हुए वे रेंगते हुए गोली चलाते और युक्तियों का प्रयोग करते हुए वे सफलतापूर्वक उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री अर्जुनन पड़े थे । तब उन्होंने उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया । ऐसा करते हुए वे गोली लगने से जख्मी हो गए लेकिन इसके बावजूद भी वे श्री अर्जुनन को सुरक्षित स्थान तक लाने में सफल हो गए । दोनों को अमृतसर के एम० जी० टी० बी० अस्पताल ले जाया गया जहां वे दोनों घावों के कारण मर गए ।

पुलिस बल ने अपना आक्रमण जारी रखा । श्री भंडारी एक कान्स्टेबल सहित फार्म हाउस की छत पर चढ़ गए और कमरे के अन्दर हथगोले फैंकने के उद्देश्य से छत में छेद करने का प्रयास किया । उनको भगाने के उद्देश्य से आतंकवादियों ने कमरे को आग लगाने की कोशिश की केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 19वीं बटालियन के कमांडेंट ने कुछ सदस्यों के दल को कमरे की छत पर चढ़ कर और अधिक छेद करने का निर्देश दिया । अपनी जान को बड़े जोखिम में डालते हुए कान्स्टेबल पी० गोपालाकृष्णन आतंकवादियों की कमरे के अन्दर से हो रही भीषण गोली बारी के बावजूद कमरे की छत पर चढ़ गए । छत में छेद करने के पश्चात् उन्होंने आतंकवादियों को बाहर निकालने के उद्देश्य से कमरे के भीतर हथगोले फैंके । उसके बाद वहां एक घंटे तक चुप्पी रही । 9 घंटे तक चली मुठभेड़ में सभी छह आतंकवादी मारे गए जिनकी बाद में, हरी सिंह सरबजीत सिंह, निर्मल सिंह, सुरिन्दर सिंह, धर्म सिंह और जस्सा सिंह, के रूप में पहचान की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री एम० एस० भंडारी, हैडकान्स्टेबल, श्री पी० आर० अर्जुनन, कान्स्टेबल, श्री पाटिल लक्ष्मण, कान्स्टेबल और श्री राम प्रकाश, नायक, ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 अप्रैल, 1988 से दिया जायेगा ।

सं० 47-प्रेज/91—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पी० गोपाला कृष्णन,
कान्स्टेबल सं० 700421227,
19वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 16 अप्रैल, 1988 को लगभग सांय 4.30 बजे हेड-कान्स्टेबल एम० एस० भंडारी के नेतृत्व में, कान्स्टेबल पी० आर० अर्जुनन और कान्स्टेबल पाटिल लक्ष्मण सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 63वीं बटालियन की एक टुकड़ी ने पट्टी क्षेत्र में रट्टा गुरुदा गांव में गश्त लगाते हुए उन्होंने जब धन्ना सिंह और बग्गा सिंह के फार्म हाउस की जांच करने का निर्णय लिया तो उन पर आतंकवादियों द्वारा स्वचालित हथियारों से भीषण गोली बारी की गई । श्री भंडारी और श्री अर्जुनन ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए तुरन्त मोर्चे संभाले और गोलीबारी का जवाब दिया । कान्स्टेबल अर्जुनन आतंकवादियों की गोली बारी का प्रभावकारी ढंग से जवाब देते हुए बुरी तरह घायल हो गए । घावों के बावजूद उन्होंने गोलियों का जवाब देने का प्रयास किया और रेंगते हुए आतंकवादियों की प्रहार करने की सीमा से दूर निकल गए ।

गोली बारी की आवाज सुनने और मुठभेड़ के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, घटनास्थल पर कुमुक पहुंच गई । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 19वीं बटालियन के कान्स्टेबल गोपाला कृष्णन जो सबसे आगे थे कान्स्टेबल पाटिल लक्ष्मण सहित अपनी निजी सुरक्षा की चिंता किए बगैर छिपते हुए रेंग कर फार्म हाउस की ओर बढ़े । कान्स्टेबल पाटिल लक्ष्मण, जब फार्म हाउस के बरामदे की ओर बढ़ रहे थे तो उन पर गोलियां चलाई गई और वे घायल हो गए । श्री पाटिल लक्ष्मण को सिविल अस्पताल ले जाया गया परन्तु बाद में घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई ।

पुलिस बल ने अपना आक्रमण जारी रखा । श्री भंडारी एक कान्स्टेबल सहित फार्म हाउस की छत पर चढ़ गए और कमरे के अन्दर हथगोले फेंकने के उद्देश्य से छत में छेद करने का प्रयास किया । उनको भगाने के उद्देश्य से आतंकवादियों ने कमरे को आग लगाने की कोशिश की । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 19वीं बटालियन के कमांडेंट ने कुछ सदस्यों के बल को कमरे की छत पर चढ़ कर और अधिक छेद करने का निर्देश दिया । अपनी जान को बड़े जोखिम में डालते हुए कान्स्टेबल पी० गोपाला कृष्णन आतंकवादियों की कमरे की अन्दर से हो रही भीषण गोली बारी के बावजूद कमरे की छत पर चढ़ गए । छत से छेद करने के पश्चात् उन्होंने आतंकवादियों को बाहर निकालने के उद्देश्य से कमरे के भीतर हथगोले फेंके । उसके बाद वहां एक घंटे तक चुप्पी रही । 9 घंटे तक चली मुठभेड़ में सभी छह आतंकवादी मारे गए जिनकी बाद में, हरी सिंह, सरबजीत सिंह, निर्मल सिंह, सुरिन्दर सिंह, धर्म सिंह और जस्सा सिंह के रूप में पहचान की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री पी० गोपाला कृष्णन, कान्स्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 अप्रैल, 1988 से दिया जाएगा ।

सं० 48-प्रेज/91—राष्ट्रपति कर्नाटक पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री डोड्डपा सन्ना थिम्मप्पा,
कान्स्टेबल सं० 2661,
अनुगोडी पुलिस स्टेशन,
बंगलौर सिटी ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

25 जनवरी, 1990 को श्री डोड्डपा सन्ना थिम्मप्पा कान्स्टेबल, 60 यात्रियों को ले जा रही एक प्राइवेट बस द्वारा बीमारी की छुट्टी पर चित्रादुर्ग तालुक के चिक्का पुरदा गोल्लाराहाटी स्थित अपने मूल निवास स्थान को जा रहे थे । दोपहर के लगभग 1.15 बजे जब बस रेलवे लाइन के समीप मेडिकरपुरा गांव के पास पहुंच रही थी, तो यकाएक बस में घोर गुल हुआ और बम की आवाज सुनाई पड़ी । यह सुनकर ड्राइवर ने बस को रोक दिया । बस यात्री बस से उतर कर इधर-उधर भागने लगे । श्री थिम्मप्पा भी बस के अन्दर से बाहर आए और उन्होंने 4-5 व्यक्तियों को बस के पीछे भागते हुए देखा । उन्होंने एक व्यक्ति को अपने हाथ में एक प्लास्टिक का बैग ले जाते हुए देखा, जो नगद-नगद चिल्ला रहा था । चिल्लाने की आवाज सुनकर कान्स्टेबल इन 4-5 व्यक्तियों के पीछे दौड़ा, जिन्होंने शिकायतकर्ता से प्लास्टिक बैग छीन लिया था । अपराधियों में से एक ने परिवादी पर वेणी रिवाल्वर से गोली भी चलाई, जिसके कारण उसकी जांघ जख्मी हो गई । श्री थिम्मप्पा ने स्थिति की गम्भीरता को भांपते हुए अपराधियों का पीछा किया, जो नजदीक के खेत में भागे जा रहे थे । जब वे इस प्रकार भाग रहे थे तो एक डकैत के हाथ से प्लास्टिक का बैग छूट गया और करेंसी नोटों के बण्डल गिर पड़े और इधर-उधर फैल गये । सभी डकैतों ने करेंसी नोटों को चारों ओर से घेर लिया और उनको बटोरना शुरू कर दिया । इसी बीच उनमें से नरसिम्हा रेड्डी नामक एक डकैत ने अपनी लुंगी उतारकर सभी करेंसी नोट उसमें एकत्र किये और पुनः भागने लगा । डकैत घातक हथियारों से लैस थे और लोगों को गम्भीर परिणामों के लिए डरा रहे थे । श्री थिम्मप्पा ने बस के यात्रियों से अनुरोध किया कि वे डकैतों को पकड़ने में उसकी सहायता करें लेकिन कोई भी यात्री उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया । तथापि, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना डकैतों का पीछा करना जारी रखा । अन्त में श्री थिम्मप्पा ने नजदीक के खेत में काम कर रहे एक कुली की सहायता से अपराधी को पकड़ लिया । इसी बीच सर्किल पुलिस निरीक्षक अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने अपराधी को हिरासत में ले लिया तथा उसमें 95,000/- रुपये की राशि बरामद की ।

इस घटना में श्री डोड्डपा सन्ना थिम्मप्पा, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 जनवरी, 1990 से दिया जाएगा ।

सं० 49-प्रेज/91—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद :

श्री दीवान चन्द,
पुलिस अधीक्षक,
फिरोजपुर ।

श्री नछत्तर सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
पुलिस स्टेशन धर्मकोट ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

9 जून, 1990 को श्री दीवान चन्द, पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, फिरोजपुर को सूचना प्राप्त हुई कि गांव हजारा राम सिंह और जोधा भैनी के मध्य स्थित क्षेत्र से कुछ उग्रवादी भारत-पाक सीमा पार करने के लिए आयेंगे । तुरन्त चार नाका दल गठित किए गए, पहले दल की अगुआई

श्री दीवान चन्द, दूसरे दल का नेतृत्व निरीक्षक नछत्तर सिंह, तीसरे का नेतृत्व उप-निरीक्षक और चौथे का नेतृत्व सहायक उप-निरीक्षक द्वारा किया गया और ये सभी दल श्री दीवान चन्द के कमांड में थे। रात के लगभग 9.00 बजे गांव फोतूवाला के क्षेत्र में नाकाबंदी की गई। रात के लगभग 10.30 बजे मुखोरा-बोदला गांव की ओर से दो व्यक्तियों को पैदल आते हुए देखा गया। उन्हें रुकने की चेतावनी दी गई लेकिन उन्होंने जमीन पर लेटकर अपने स्वचालित हथियार से गोली चलानी शुरू कर दी। श्री दीवान चन्द ने तुरन्त पुलिस दल को जवाबी गोली चलाने का आदेश दिया। दोनों ओर से गोली-बारी के दौरान आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने की बार-बार चेतावनी दी गई लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों ओर से गोली-बारी डेढ़ घंटे तक जारी रही। कोई दूसरा रास्ता न देखकर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर श्री दीवान चन्द और निरीक्षक नछत्तर सिंह रेंगते हुए उग्रवादियों की ओर गए। वहां पहुंच कर श्री दीवान चन्द और निरीक्षक नछत्तर सिंह ने अपनी एस० एल० आर० से आतंकवादियों पर क्रमशः 50 और 52 चक्र गोलियां चलाई परिणाम-स्वरूप आतंकवादियों की तरफ से गोली बारी बंद हो गई। इसके बाद ड्रेगन लाइट की सहायता से क्षेत्र की छानबीन की गई। एक उग्रवादी मृत पाया गया। तथापि, दूसरा उग्रवादी ऊंची-नीची भूमि का लाभ उठाकर अंधेरे से बच निकलने में सफल हो गया। मृतक आतंकवादी की पहचान बाद में बख्शीश सिंह के रूप में हुई।

इस मुठभेड़ में श्री दीवान चन्द, पुलिस अधीक्षक और श्री नछत्तर सिंह, पुलिस निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 जून, 1990 से दिया जाएगा।

सं० 50-प्रेज/91—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री हरदीप सिंह,
कान्स्टेबल नं० 3008/टी० टी०,
तरन तारन।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

17 अप्रैल, 1988 की रात को, लगभग 9.30 बजे पुलिस उप-अधीक्षक पट्टी, एक पुलिस दल के साथ, जिसमें कान्स्टेबल/ड्राइवर हरदीप सिंह शामिल थे, थाना वल्टोहा के अन्तर्गत बरनाला गांव के क्षेत्र में अपनी गाड़ी में गश्ती ड्यूटी पर थे। उपरोक्त पुलिस दल पर उग्रवादियों ने घात लगा कर हमला किया, जिनकी संख्या अनिश्चित थी। घात में पुलिस के लगभग सभी सदस्य गम्भीर रूप से जख्मी हो गए थे। कान्स्टेबल/ड्राइवर हरदीप सिंह के दोनों पैर गोली लगने से जख्मी हो गए। उनके पैर लगभग संवेदन खो चुके थे और उनके लिए चलना मुश्किल हो गया। इन विषमताओं के बावजूद उन्होंने मानसिक संतुलन और साहस बनाए रखा और वे अपनी जीप चलाते रहे तथा उसे उग्रवादियों के फायरिंग रेंज से बाहर ले आने में सफल हुए। इसी बीच उग्रवादियों की ओर से भारी गोली-बारी होती रही। पुलिस दल ने भी जवाब में गोली चलाई। पुलिस दल की गोली-बारी से उग्रवादी वहां से भाग निकलने के लिए मजबूर हो गए। अन्त में उग्रवादी रात के अंधेरे तथा पेड़ों और वहां की स्थलाकृति का फायदा उठाकर स्थल से बचकर भाग निकले।

इस मुठभेड़ में श्री हरदीप सिंह, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 अप्रैल, 1988 से दिया जाएगा

सं० 51-प्रेज/91—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री भूपिन्दर सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला—फरीदकोट।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 22 मई, 1990 को फरीदकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को थाना सादिक में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि दो अपहृत व्यक्तियों सहित कुछ सशस्त्र उग्रवादी गांव किल्ली एरियान के तिरलोचन सिंह नामक व्यक्ति के ट्यूबवैल के निकट, पेड़ों के झुंड के बीच में छुपे हुए हैं। तुरन्त पुलिस दल तैयार किये गए, जिसमें प्रत्येक का नेतृत्व एक पुलिस उप-अधीक्षक को सौंपा गया। एक पुलिस दल का नेतृत्व उप-निरीक्षक भूपिन्दर सिंह ने किया। ट्यूबवैल को पुलिस दलों द्वारा घेर लिया गया। पुलिस दलों को देख कर दो अपहृत व्यक्तियों सहित चार उग्रवादी बाहर आ गए और उन्होंने पुलिस दल पर भारी गोली-बारी की। आत्मरक्षा में पुलिस दलों ने भी गोलियां चलाई। आतंकवादियों ने एक अपहृत व्यक्ति को मार डाला तथा दूसरे अपहृत व्यक्ति ने पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया।

दोनों ओर से भीषण गोली-बारी हुई और अन्ततः आतंकवादियों ने विभिन्न दिशाओं की ओर भागना आरम्भ कर दिया। एक आतंकवादी को उप-निरीक्षक भूपिन्दर सिंह ने उलझाये रखा। यह आतंकवादी पेड़ के पीछे छुपते हुए चिल्लाया कि वह पीछा करने वाले पुलिस दल के परिवार के सदस्यों को मार डालेगा एक सहायक उप-निरीक्षक और एक कान्स्टेबल सहित उप-निरीक्षक भूपिन्दर सिंह, अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना, आगे बढ़े और आतंकवादी को तीन ओर से घेर लिया और इससे आतंकवादी को अपनी दिशा बदलनी पड़ी। अपनी दिशा बदलते समय उसे उप-निरीक्षक भूपिन्दर सिंह द्वारा गोली चला कर मार दिया गया। दो आतंकवादियों को दूसरे पुलिस दलों द्वारा मार दिया गया। चौथे आतंकवादी ने पुलिस के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया जिसने अपने को बलबीर सिंह बतलाया। मृत आतंकवादियों की बाद में बकीर सिंह उर्फ बुल्लेर, नरेन्द्र सिंह तथा सुखचैन सिंह के रूप में पहचान की गई। तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थल से दो ए० के०-47 असाल्ट राईफल्स एक ए० के०-74 असाल्ट राईफल तथा बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री भूपिन्दर सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली, के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 मई, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

मंत्रिमंडलीय सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी, 1991

संकल्प

विषय : देश में अतिचालकता अनुसंधान को बढ़ावा और उसका अनुप्रयोग।

सं० 84/1/3/90-मंत्रि—उपरोक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा शीर्ष निकाय के बारे में दिनांक 12 जून, 1987 के सं० 84/12/87-मंत्रिमण्डल और अतिचालकता पर कार्यक्रम प्रबंध बोर्ड (पी०एम०बी०) के बारे में दिनांक 12 जून, 1987 के सं० 84/12/87-मंत्री० (1) के द्वारा जारी किए गए दो संकल्पों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जब 1987 में एक राष्ट्रीय अतिचालकता कार्यक्रम (एन० एस० पी०) को आरम्भ किया गया था। प्रधानमंत्री की स्वीकृति से अब यह निर्णय लिया गया है कि ऊपर उल्लिखित दोनों संकल्पों के अधिक्रमण में, दोनों निकायों अर्थात शीर्ष निकाय और कार्यक्रम प्रबंध बोर्ड की द्विपंक्तीय संगठनात्मक ढांचे को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष निकाय को समाप्त कर दिया जाएगा और पी०एम०बी० के नाम, चार्टर और संगठन में संशोधन किया जाएगा। नए निकाय का नाम पी० एम० बी० के स्थान पर राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान और प्रौद्योगकी बोर्ड (एन०एस०टी०बी०) होगा। एन० एस० टी० बी० को कृतिक बल (बलों) और एक कार्यकारी संरचना द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जिसका निर्णय एन० एस० टी० बी० के अनुमोदन से किया जाएगा।

2. निम्नलिखित कार्यों को किए जाने की आवश्यकता है जिसमें अनुवर्ती उच्च गुणवत्ता शैक्षिक संस्थान आधारित मूलभूत अनुसंधान शामिल हैं :—

(1) उच्च गुणवत्ता वाले एच० टी० एस० सी० पदार्थों का भारी मात्रा में संश्लेषण।

(2) अतिचालकता पदार्थों से पूर्वनिर्मित/निर्मित वस्तुएं, तार, टेप और केबल बनाना।

(3) औद्योगिक और विद्युतीय अनुप्रयोगों में इस्तेमाल करने के लिए प्रोटोटाइप विद्युत-चुम्बकों का विकास अभियंत्रण।

(4) इलेक्ट्रानिकी विद्युतीय अनुप्रयोगों सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अतिचालक यंत्र/उप-प्रणालियों/प्रणालियों का विकास अभियंत्रण।

(5) अतिचालकता प्रौद्योगिकी के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना।

3. जिस कार्य के किए जाने की आवश्यकता है, वह विषमजातीय है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. प्रो० सी० एन० आर० राव, निदेशक आई० आई० एस० सी०, बंगलूर।	अध्यक्ष
2. सचिव, परमाणु विभाग, बम्बई	सदस्य
3. टी० आई० एफ० आर०, बम्बई का प्रतिनिधि	—वही—
4. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।	—वही—
5. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली	—वही—
6. सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग, नई दिल्ली।	—वही—
7 निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।	—वही—
8. निदेशक, डी एम आर एल, हैदराबाद	—वही—
9 अध्यक्ष/प्रभार अधिकारी, सेमीकंडक्टर्स काम्पलैक्स लि० (एस० सी०एल०) मोहाली, चंडीगढ़।	सदस्य
10 निदेशक (तक०) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली।	—वही—
11 कार्यकारी निदेशक, सी-डाट/सचिव दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधि।	—वही—
12 निदेशक, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली।	—वही—
13 प्रो० के० एल० चोपड़ा, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर।	—वही—
14 योजना आयोग का प्रतिनिधि।	—वही—
15 वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि।	—वही—
16 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक नोडीय अधिकारी सचिव के रूप में।	—वही—

राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बोर्ड को सचिवालयीन और समन्वय सेवाएं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान की जायेंगी।

4. राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड के विचाराधीन विषय इस प्रकार होंगे :—

(1) आवश्यक बजट प्रावधान करना,

(2) देश के अन्दर और बाहर से, सलाहकारों, विजिटिंग वैज्ञानिकों के रूप में, कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए सभी कदम उठाना और देश में उनके कार्यपालन को सुविधाजनक बनाना,

(3) बिना विस्तृत कागजी-कार्यवाही के, आयात, अनुज्ञापत्रों, अनुशक्तियों सहित सभी प्रकार का सामान और सेवाएं प्राप्त करना, और

(4) वास्तु-अभिकल्पन इत्यादि सहित, सिविल और अभियांत्रिकी कार्यों को करना।

5. राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड को ऐसी कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां प्राप्त होंगी जो देश में विभिन्न वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी संस्थानों के द्वारा अनुसंधान, विकास और अभियंत्रण के क्षेत्र में प्रयास करते रहने के लिए आवश्यक हैं। इस उद्देश्य के लिए बोर्ड उन कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका प्रयोग मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 16 फरवरी, 1988 के आदेश सं० 84/12/87-मंत्रि० के तहत कार्यक्रम प्रबंध बोर्ड (पी० एम० बी०) अब तक करती आ रही है।

6. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जायें।

7. यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

टी० एन० आर० राव,
अपर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च, 1991

सं० यू०-13019-5-90-ए०एल०एल०—इस मंत्रालय की 15 अक्तूबर, 1990 तक यथा संशोधित अधिसूचना सं० 1/1(2)/87-ए०एन०एस०(1) दिनांक 12 जनवरी, 1988 में आंशिक संशोधन

करते हुए, राष्ट्रपति ने संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की गृह मंत्री से संबद्ध सलाहकार समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय किया है :—

(i) सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा ;

(ii) सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी ।

2. अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय हैं ।

सं० यू०-13019/1/90-ए०एम०एल०—इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० यू-13019/10/81-ए०एम० एल० दिनांक 2 फरवरी, 1982 में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति ने संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह की गृह मंत्री से संबद्ध सलाहकार समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय किया है :—

(i) सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा ;

(ii) सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी ।

2. अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय हैं ।

दिनांक 14 मार्च 1991

सं० यू०-13019/1/89-जी० पी०—राष्ट्रपति, वर्ष 1990-91 के लिए गृह मंत्री से सम्बद्ध संघ राज्य क्षेत्र दमन व दीव की सलाहकार समिति के निम्नलिखित गैर-सरकार सदस्यों को नामित करते हैं :—

(1) श्री मरेस्रो फ्रांसस्को लोपेस,

(2) श्री चिमन भाई भानाभाई पटेल,

(3) डा० पुष्पबेन बी० कपाडिया,

(4) श्रीमती कलाबेन चौहान ।

दिनांक 15 मार्च, 1991

सं० यू०-13019/2/89-जी० पी०—इस मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना ं० यू०-13019/1/83-जी० पी० (i) में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति ने संघ राज्य क्षेत्र दादरा व नागर हवेली की गृह मंत्री से सम्बद्ध सलाहकार समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय किया है :—

(i) सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा ;

(ii) सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी ।

2. अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय हैं ।

सं० यू०-13019/1/89-जी० पी०—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० यू०-13019/1/88-जी० पी० (I) में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति ने संघ राज्य क्षेत्र दमन व दीव की गृह मंत्री से सम्बद्ध सलाहकार समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय किया है :—

(1) सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा ;

(ii) सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी ।

2. अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय हैं ।

यू० पी० शर्मा,
निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च, 1991

विषय : सिन्धी सलाहकार समिति के कार्यकाल का बढ़ाना ?

सं० एफ०-6-1/87-डी० 3(भा०)—भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग ने अपने दिनांक 16 जनवरी, 1989 के संकल्प संख्या 6-1/87-डी० III (भाषा) के जरिए शिक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में सिंधी सलाहकार समिति का गठन दो वर्षों की अवधि के लिए किया था । इस समिति के कार्यकाल को 15 जनवरी, 1992 तक एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सिंधी सलाहकार समिति, अध्यक्ष वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, निदेशक, उर्दू प्रकाशन ब्यूरो, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, सभी कुलपतियों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों को संसूचित की जायें ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० के० सेठ, उप सचिव

(युवा कार्यक्रम और खेल विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 1991

शुद्धिपत्र

सं० एफ० 3-9/90-वाई० एस०-IV—राष्ट्रीय युवा परिषद के गठन के सम्बन्ध में अधिसूचित करने के इस विभाग के दिनांक 10 अक्तूबर, 1990 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए पृष्ठ 2 पर वर्तमान एक के स्थान पर निम्न मद पढ़ा जाए :—

सदस्य	संख्या
"6. संसद सदस्य (35 वर्ष से कम)	

आदेश

आदेश है कि भारत सरकार के संकल्प के शुद्धिपत्र की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जाएं तथा सामान्य सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

डी० के० मणवालन,
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 21st March 1991

No. 46-Pres/91.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the officers

Shri M.S. Bhandari,
Head Constable,
63 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri P.R. Arjunan, (Posthumous)
Constable No. 841220412,
63 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Patil Laxman, (Posthumous)
Constable No. 850796858,
63 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Ram Prakash, (Posthumous)
Naik No. 690342407,
19 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 16th April, 1988 at about 1630 hours a section of 63 Battalion, Central Reserve Police Force, under the charge of Head Constable M.S. Bhandari alongwith Constable P.R. Arjunan and Constable Patil Laxman, while on a routine patrolling in village Ratta Gudda in Patti Sector, came under heavy automatic fire from the terrorists, when they decided to check the farm house of Dhanna Singh and Bagga Singh. Immediately Shri Bhandari and Shri Arjunan, in utter disregard to their personal safety, took positions and returned the fire. Constable Arjunan was seriously injured while trying to effectively counter the terrorists fire. Despite injuries, he tried to fire back and crawled away from the range of terrorists fire.

On hearing the sound of firing and getting information about the encounter, reinforcement reached the place of encounter. Constable Patil Laxman alongwith Constable P. Gopala Krishnan of 19 Battalion, Central Reserve Police Force, who were ahead of others, stealthily crawled towards the farm house unmindful of their personal safety. Constable Patil Laxman, while approaching the varandah of the farm house, was fired upon and received bullet injuries. Inspite of injuries, he decided to engage the terrorists and returned the fire and injured one of the terrorists. Shri Patil Laxman was evacuated to Civil Hospital but later he succumbed to his injuries.

Meanwhile Naik Ram Prakash of 19 Battalion, Central Reserve Police Force, saw Constable P.R. Arjunan lying seriously injured and he decided to bring him to safety. Unmindful of risk to his life in the face of heavy automatic fire from the terrorists, he in a daredevil action crawled forward using fire and move tactics successfully reached the place where Shri Arjunan was lying. Then, he tried to evacuate him to safety. While doing so, he received bullet injuries but despite injuries he managed to retrieve Shri Arjunan to safety. Both were then rushed to SGTB Hospital, Amritsar where they succumbed to their injuries.

The Police party continued its assault, Shri Bhandari alongwith one Constable climbed the roof-top of the farm house and tried to make holes in the roof for lobbing grenades inside the rooms. To scare them away, the terrorists tried to burn down the room. Commandant of 19 Battalion, Central Reserve Police Force, then directed a team of men to climb the roof top to make more holes. Constable P. Gopala Krishnan, at great risk to his life also climbed the roof-top despite heavy fire by the terrorists from inside the house. After making holes, they lobbed grenades in the room to flush out terrorists. Thereafter there was silence for about one hour. In the encounter, which lasted for 9 hours, all the six terrorists were killed, who were later identified as Hari Singh, Sarabjit Singh, Nirmal Singh, Gurinder Singh, Dharam Singh and Jassa Singh.

In this encounter Shri M.S. Bhandari, Head Constable, Shri P.R. Arjunan, Constable, Shri Patil Laxman, Constable and Shri Ram Prakash, Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th April, 1988.

No. 47-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri P. Gopala Krishnan,
Constable No. 700421227,
19 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 16th April, 1988 at about 1630 hours a section of 63 Battalion, Central Reserve Police Force, under the charge of Head Constable M.S. Bhandari alongwith Constable P.R. Arjunan and Constable Patil Laxman, while on a routine patrolling in village Ratta Gudda in Patti Sector, came under heavy automatic fire from the terrorists, when they decided to check the farm house of Dhanna Singh and Bagga Singh. Immediately Shri Bhandari and Shri Arjunan, in utter disregard to their personal safety, took positions and returned the fire. Constable Arjunan was seriously injured while trying to effectively counter the terrorists fire. Despite injuries, he tried to fire back and crawled away from the range of terrorists fire.

On hearing the sound of firing and getting information about the encounter, reinforcement reached the place of encounter. Constable Patil Laxman alongwith Constable P. Gopala Krishnan of 19 Battalion, Central Reserve Police Force, who were ahead of other stealthily crawled towards the farm house unmindful of their personal safety. Constable Patil Laxman, while approaching the varandah of the farm house, was fired upon and received bullet injuries. Shri Patil Laxman was evacuated to Civil Hospital, but later he succumbed to his injuries.

The police party countinued its assault. Shri Bhandari alongwith one Constable climbed the roof-top of the farm house and tried to make holes in the roof for lobbing grenades inside the rooms. To scare them away, the terrorists tried to burn down the room. Commandant of 19 Battalion, Central Reserve Police Force then directed a team of men to climb the roof-top to make more holes, Constable P. Gopala Krishnan, at great risk to his life also climbed the roof-top despite heavy fire by the terrorists from inside the house. After making holes, they lobbed grenades in the room to flush out terrorists. Thereafter there was silence for about one hour. In the encounter, which lasted for 9 hours, all the six terrorists were killed, who were later identified as Shri Hari Singh, Sarabjit Singh, Nirmal Singh, Gurinder Singh, Dharam Singh and Jassa Singh.

In this encounter Shri P. Gopala Krishnan, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th April, 1988.

No. 48-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Karnataka Police :

Name and rank of the officer

Shri Doddappa Sanna Thimmappa,
Constable No. 2661,
Adugodi Police Station,
Bangalore City.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 25th January, 1990, Shri Doddappa Sanna Thimmappa, Constable was going on sick leave to his native place at Chikkapurada Gollarahaty in Chitradurga Taluk by a private bus carrying about 60 passengers. At about 1315 hours when the bus was nearing Medikerapura village near Railway line suddenly there was hue and cry in the bus and shouts of bomb. On hearing this, the driver stopped the bus. The inmates alighted from the bus and started running helter skelter. Shri Thimmappa who was inside the bus also got down from the bus and found 4-5 persons running behind the bus. He also saw one person carrying a plastic bag in his hand and shouting, cash-cash. On hearing the shouts, the constable ran after these 4-5 persons who had snatched the plastic bag from the complainant. One of the accused also fired at the complainant with a country made revolver causing injury on his thigh. Shri Thimmappa sensing the seriousness of the situation followed the accused who started running in the nearby fields. While they were so running, the plastic bag slipped from the hands of a dacoit and the bundles of currency notes fell down and got scattered. All the dacoits surrounded the currency notes and started gathering them. Meanwhile one of the dacoits named Narasimha Reddy removed his lungi and collected all the currency therein and started running again. The dacoits were armed with deadly weapons and were threatening people with dire consequences. Shri Thimmappa requested the passengers of the bus to assist him to apprehend the dacoits, but none came forward to assist him. He however, continued to chase the dacoits without caring for his personal safety. Shri Thimmappa with the assistance of a cooly who was working in the nearby field ultimately caught the accussed. Meanwhile the Circle Inspector of Police with his staff reached the spot and took into custody the accused and recovered from him a sum of Rs. 95,000/-.

In this incident Shri Doddappa Sanna Thimmappa, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th January, 1990.

No. 49-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police.

Names and rank of the officers

Shri Diwan Chand,
Superintendent of Police,
Ferozepur.

Shri Nachhattar Singh,
Inspector of Police,
Police Station Dharamkot.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 9th June, 1990, Shri Diwan Chand, Superintendent of Police, Headquarters, Ferozepur received information that some extremists will be going to cross the Indo-Pak border from the areas between village Hazara Ram Singh and Jodha Bhaini. Immediately four naka parties were formed, first headed by Shri Diwan Chand, 2nd by Inspector Nachhattar Singh, 3rd by a Sub-Inspector and 4th by an Assistant Sub-Inspector, under the overall command of Shri Diwan Chand. At about 9.00 PM naka-bandi was held in the area of village Fettuwala. At about 10.30 PM, two persons were noticed coming from the side of village Sukhera-Bodla on foot. They were challenged to stop but they started firing with automatic weapons by lying on the ground. Shri Diwand Chand immediately directed the police parties to return the fire. During the exchange of fire the terrorists were repeatedly warned to surrender but this had no effect. The exchange of fire continued for one and half hour. Finding no other alternative, Shri Diwan Chand and Inspector Nachhattar Singh, crawled towards the terrorists, without carring for their personal safety. On reaching there, Shri Diwan Chand and Inspector Nachhattar Singh fired 50 and 52 rounds respectively from their SLRs on the terrorists, as a result of this, firing from the side of terrorists stopped. Thereafter, the area was searched with the help of Dragon Lights one extremists was found lying dead. However, the other managed to escape under the cover of darkness by taking advantage of unlevel ground. The dead extremist was later identified as Bakshish Singh.

In this encounter Shri Diwan Chand, Superintendent of Police and Shri Nachhattar Singh, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th June, 1990.

No. 50-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police.

Name and rank of the officer

Shri Hardip Singh,
Constable No. 3008, TT,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of the 17th April, 1988, at about 9.30 PM, Deputy Superintendent of Police, Patti alongwith a Police party including Constable/Driver Hardip Singh were on patrol duty in their vehicles in the areas of village Varnala, Police Station, Valtoha. The above police party was ambushed by a unspecified number of extremists. In the ambush almost all the members of the police party were seriously injured. Constable/Driver Hardip Singh received bullet injuries in both of his legs. His legs almost lost the sensation and he could hardly move. In spite of all these odds, he maintained his presence of mind and courage and continued driving his jeep and successfully brought it out of the firing range of the extremists. In the meantime firing continued unabated from the extremists. This was responded by the police party. The effect of the firing by the police party compelled the extremists to find way to escape. Ultimately, taking advantage of the darkness, trees and topography of the area, the extremists managed to escape from the scene.

In this encounter, Shri Hardip Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th April, 1988.

No. F. 51-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police.

Name and rank of the Officer

Shri Bhupinder Singh,
Sub-Inspector of Police.
District Faridkot.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 22nd May, 1990, Senior Superintendent of Police, Faridkot received reliable information at Police Station Sadiq that some armed extremists alongwith two kidnapped persons were hiding in a cluster of trees near tubwell of one Tarlochan Singh, Village Killi Arian. Immediately police parties were formed, each headed by one Deputy Superintendent of Police. One police party was led by Sub-Inspector Bhupinder Singh. The tubewell was cordoned off by police parties. On seeing the police parties four extremists alongwith two kidnapped persons came out and opened heavy fire on the police parties. The police parties returned the fire in self defence. The terrorists shot dead one kidnapped person and the other surrendered before the police.

Heavy exchange of fire took place and at last, the terrorists started running towards difference directions. One terrorist was engaged by Sub-Inspector Bhupinder Singh. The terrorist, while hiding behind a tree shouted that he would kill all the family members of the chasing party. Sub-Inspector Bhupinder Singh alongwith one Assistant Sub-Inspector and one constable without caring for their personal safety, went ahead and surrounded the terrorist from three sides and at last the terrorist was compelled to change his direction. While changing his position he was shot dead by Sub-Inspector Bhupinder Singh. Two terrorists were killed by the other police parties. The fourth terrorist surrendered before the police, who disclosed his identity as Balbir Singh. The killed terrorists were later identified as Vakeel Singh alias Bullet, Narinder Singh and Sukhchain Singh. During search two AK-47 Assault Rifles, one AK-74 Assault Rifle and large quantity of Ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Bhupinder Singh, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd May, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 27th February 1991

RESOLUTION

Subject : Promotion of Superconductivity Research and its application in the country.

No. 84/1/3/90-Cab.—Attention is invited to the two resolutions on the above subject issued by the Cabinet Secretariat *vide* No. 84/1/2/87-Cab. dated 12th June, 1987 regarding the Apex Body and No. 84/1/2/87-Cab(i) dated 12th June, 1987 regarding the Programme Management Board (PMB) on Superconductivity when a National Superconductivity Programme (NSP) was initiated in 1987. It has now been decided with the approval of the Prime Minister that in supersession of the two Resolutions mentioned above, there is no longer a need to have the present 2-tier structure organisational set up of the two bodies *viz.* Apex Body and the Programme Management Board. The Apex Body will stand abolished and the PMB will be modified in terms of its name, charter and composition. The new body, in place of the PMB, will be called the National Superconductivity Science & Technology Board (NSTB). The NSTB will be supported by Task Force(s) and an executive structure to be decided with the approval of NSTB.

2. The following items of work including continuing high-quality academic-institution-based, basic research, need to be done :—

(i) Synthesis of high quality HTSC materials in bulk quantities.

(ii) Making preformed/shaped objects, wires, tapes and cables out of superconducting materials.

(iii) Development/engineering of prototype electromagnets for use in industrial and electrical applications.

(iv) Development/engineering of superconducting devices/sub-systems/systems for a variety of applications including electronics/electrical applications.

(v) Promotion of industrialisation of superconductivity technology.

3. The work that needs to be done is heterogeneous. It has, therefore, been decided that the NSTB will consist of the following :—

Chairman

1. Prof. C. N. R. Rao, Director, IISc., Bangalore.

Members

2. Secretary, DAE, Bombay.
3. Representative of TIFR, Bombay.
4. Chairman, UGC, New Delhi.
5. Secretary, DST, New Delhi.
6. Secretary, DOE, New Delhi.
7. Director, BARC, Bombay.
8. Director, DMRL, Hyderabad.
9. Chairman/Officer Incharge, Semiconductor Complex Ltd. (SCL), Mohali, Chandigarh.
10. Director (Tech.), BHEL, New Delhi.
11. Executive Director, C-DOT/ Representative of Secretary, DOT.
12. Director, NPL, New Delhi.
13. Prof. K. L. Chopra, Director, IIT, Kharagpur.
14. Representative of Planning Commission.
15. Representative of Ministry of Finance.
16. A nodal officer of DST to act as Secretary.

The Secretariat and coordination services to the NSTB will be provided by DST.

4. The terms and reference of the NSTB would be as under :—

(i) To make necessary Budget provision;

(ii) To take all steps for acquiring the services of personnel, both from within and outside the country as consultants, visiting scientists and to facilitate their operations within the country;

(iii) To procure goods and services of all types including import without extensive paper work, permits and licences; and

(iv) To have civil and engineering works done including architecture designs etc.

5. The NSTB shall have such executive and financial powers as are necessary for pursuing the area of research, development, engineering by a number of scientific technological and engineering institutions in the country. For this purpose, the Board will exercise the executive and financial powers being performed hitherto by the PMB as per Cabinet Secretariat Order No. 84/1/2/87-Cab. dated 16th February, 1988.

6. ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Govt. of India and all the State Govts./Union Territories.

7. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. N. R. RAO, Addl. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 12th March 1991

No. U-13019/5/90-ANL.—In partial modification of this Ministry's Notification No. 1/1(2)/67-ANL(I) dated the 12-1-68 as amended upto 15th October, 1990, President is pleased to decide as follows in respect of the Advisory Committee associated with the Home Minister for the Union Territory of Lakshadweep :—

(i) The tenure of the non-official members of the Advisory Committee shall be two years.

(ii) The Advisory Committee shall meet, at least, once a year.

2. The other terms and conditions will remain unaltered.

No. U-13019/1/90-ANL.—In partial modification of this Ministry's Notification No. U-13019/10/81-ANL dated the 2nd February, 1982 as amended from time to time, President is pleased to decide as follows in respect of the Advisory Committee associated with the Home Minister for the Union Territory of A & N Islands :—

(i) The tenure of the non-official members of the Advisory Committee shall be two years;

(ii) The Advisory Committee shall meet, at least once a year.

2. The other terms and conditions will remain unaltered.

The 14th March 1991

No. U-13019/1/89-GP.—The President is pleased to nominate the following non-official members to the Advisory Committee of Union Territory of Daman and Diu associated with the Minister of Home Affairs for the year 1990-91.

1. Shri Mario Francisco Lopes
2. Shri Chimanbhai Bhanabhai Patel
3. Dr. Pushpaben B. Kapadia
4. Smt. Kantaben Chauhan.

The 15th March 1991

No. U-13019/2/89 GP.—In partial modification of this Ministry's Notification No. U. 13019/1/83 GP(I) dated 21-6-83 as amended from time to time, President is pleased to decide as follows in respect of the Advisory Committee associated with the Home Minister for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli :—

(i) The tenure of the non-official members of the Advisory Committee shall be two years;

(ii) The Advisory Committee shall meet, at least once a year.

2. The other terms and conditions will remain unaltered.

No. U. 13019/1/89 GP.—In partial modification of this Ministry's Notification No. U. 13019/1/88 GP(I) dated 12-5-1988, President is pleased to decide as follows in respect of the Advisory Committee associated with the Home Minister for the Union Territory of Daman and Diu :—

(i) The tenure of the non-official members of the Advisory Committee shall be two years;

(ii) The Advisory Committee shall meet, at least once a year.

2. The other terms and conditions will remain unaltered.

A. P. SHARMA, Director

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 19th March 1991

Subject : Extension of the term of Sindhi Advisory Committee.

No. F. 6-1/87-D. 3(L).—The Government of India Ministry of Human Resource Development, Department of Education had *vide* its Resolution No. 6-1/87-D III(L) dated 16th January, 1989 constituted Sindhi Advisory Committee under the chairmanship of Minister of State for Education for a period of 2 years. The tenure of the Committee has been extended by one year upto 15th January, 1992.

ORDER

ORDERED that copies of the Notification be communicated to all members of the Sindhi Advisory Committee; Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology; Chairman, University Grants Commission; Director General, Council of Scientific and Industrial Research; Directors, Central Institute of Indian Languages; Director, Bureau for Promotion of Urdu; Kendriya Hindi Sansthan; Rashtriya Sanskrit Sansthan; Central Institute of English and Foreign Languages; National Council for Educational Research and Training; All Vice-Chancellor; Prime Minister's Office; Department of Parliamentary Affairs; Lok Sabha Secretariat; Planning Cimmission; President's Secretariat and Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that the Notification be published in the Gazette of India for information .

P. K. SETH,
Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS)

New Delhi, the 8th February 1991

CORRIGENDUM

No. F. 3-9/90-YS IV.—In partial modification to this Department's resolution of even number dated the 10th October, 1990 notifying the constitution of the National Youth Council, the following item may please be read in place of the existing one on page 2 :

Members	*No.*
"6. Members of Parliament (below 35 years)	7

ORDER

ORDERED that a copy of the corrigendum to the Government of India Resolution be communicated to all State Governments/Union Territories and that the same may be published in the Gazette of India for general information.

D. K. MANAVALAN,
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1991.